


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 992 / 2014.....जिला.....जयपुर.....

उत्तर - श्रीमती सकीना बानों पत्नी श्री शहाबुद्दीन खॉ, जयपुर बनाम राजस्थान सरकार जरिए उपपजीयक -षष्ट जयपुर व अन्य ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की तारी में जारी हुए
----------------	----------------------------------	---

13.01.2015	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य</p> <p>प्रार्थी की ओर से अभिभाषक अरविन्द कुमार पारीक के बिफ होल्डर श्री सुनील पारीक व अप्रार्थी विभाग की ओर से श्री जमील जई, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमे राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. प.2(6)वित्त/कर/2014 -143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को विद्वज्ञा करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने इस संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विद्वज्ञा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विद्वज्ञा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 992/2014 "सारहीन" हो जाने के कारण खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  आशा कुमारी 13-01-15 (आशा कुमारी) सदस्य </p>	
------------	--	--